BIHAR SHODH SAMAAGAM
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
issn : 3048-6971
Vol. 3, Issue 2, April-June, 2025
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/

भारतवंशियों की पहचान के संघर्ष में बैरिस्टर मणिलाल डॉक्टर का अवदान

डॉ. मुन्नालाल गुप्ता, सहायक प्रोफ़ेसर

श्री च. प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन विभाग

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र), भारत

डॉ. राजीव रंजन राय, सहायक प्रोफ़ेसर

श्री च. प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन विभाग

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र), भारत

सारांश

भारतवंशियों की पहचान के संघर्ष का जब हम इतिहास लिखने की कोई भी कोशिश करेंगे तो मणिलाल डॉक्टर के अवदानों का जिक्र के बिना यह अधूरा ही रहेगा। आज आधुनिक मॉरीशस के राष्ट्रपिता और प्रथम राष्ट्रपति सर शिव सागर रामगुलाम एवं फ़िजी के प्रथम प्रधानमंत्री भारतवंशी श्री महेंद्र चौधरी के राजनीतिक संघर्ष के मार्गदर्शक मणिलाल डॉक्टर ही थे। 1834 ई. से 1917 ई. तक गिरमिटिया श्रमिकों के रूप में समुद्रपारीय देशों में भारतीयों का विपरीत पर्यावरणीय, सामाजिक-सांस्कृतिक एवं राजनीतिक भूभागों पर प्रवासन हुआ। इन देशों में भारतवंशियों के मानवाधिकार और पहचान से जुड़े संघर्ष के मार्गदर्शक रहे महत्मा गांधी और मणिलाल डॉक्टर। प्रस्तुत आलेख में भारतवंशियों की पहचान के संघर्ष में गुजराती बैरिस्टर मणिलाल डॉक्टर के अवदान को रेखांकित करने की लघु कोशिश की गयी है।

बीज शब्द : गिरमिटिया, अनुबंध, सत्याग्रह, प्रवासी भारतीय, भारतवंशी

विभिन्न उपनिवेशों में गरीबों और वंचितों का जीवन जी रहे भारतीय गिरमिटिया श्रमिकों की बेहतरी के लिए गुजराती मणिलाल डॉक्टर ने अथक परिश्रम और संघर्ष किया। वे देशभक्त, गांधीवादी और मानवतावादी थे। महात्मा गांधी के दूत के रूप में 1907 ई. और 1911 ई. के बीच ब्रिटिश मॉरीशस में भारतीय गिरमिटिया श्रमिकों और उनकी संतानों की मनोवैज्ञानिक और शारीरिक मुक्ति एवं उत्थान में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। मणिलाल सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों में विश्वास करते थे। गांधी ने मणिलाल डॉक्टर को 'प्रवासी भारतीयों का दूत' कहा था। इस शोध लेख में भारतवंशियों की पहचान के संघर्ष में बैरिस्टर मणिलाल डॉक्टर की भूमिका और उनके अवदान को रेखांकित किया गया है।

वर्तमान भारतीय मूल के लोगों का अधिकांश हिस्सा मूलतः उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की देन है। वर्ष 1833-34 ई. में दास प्रथा समाप्त हो जाने के बाद उष्ण कटिबंधीय देशों के खेतों में काम करने के लिए सस्ते मजदूरों का मिलना कठिन हो गया था। डच और ब्रिटिश उपनिवेशों में कुशल श्रमिकों के अभाव में कृषि-केंद्रों (बागानों) की संख्या घटने लगी। इस कमी को पूरा करने के लिए औपबंधिक श्रम प्रणाली (इंडेंचर लेबर सिस्टम) को अस्तित्व में लाया गया। श्रमिक अनुबंध (इंडेंचर) का कानून वर्ष 1834 ई. में सरकारी स्तर पर मान्य कर दिया गया। अनुबंधित प्रवासी उसे माना जाता था, जिसने बागानों तक आवागमन पर हुए व्यय को स्वयं वहन नहीं किया। इन्हें ही गिरमिटिया श्रमिकों के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार के अधिनियम कमोबेश सभी उपनिवेशों में लागू थे। इस अर्ध-गुलामी की प्रथा के आधार पर ब्रिटिश भारत से लाखों की संख्या में भारतीय श्रमिक विश्व के कोने-कोने में भेजे गए। वर्ष 1834 ई. से लेकर वर्ष 1916 ई. तक लाखों भारतीय पुरूषों और महिलाओं को इंडेंचर मजदूर बनाकर मॉरीशस, फिजी, त्रिनिदाद, जमैका, ब्रिटिश गयाना, डच गयाना, फ्रेंच गयाना इत्यादि उपनिवेशों में भेजा गया।

@2025 Bihar Shodh Samaagam

एक बार अनुबंधित कर लिए जाने पर व्यक्ति के अनुबंध की अवधि में उसकी मजदूरी दर, कार्य के घंटे, कार्य की प्रकृति, भोजन, आवास और चिकित्सा आदि के संबंध में निर्धारित नियमों के अनुसार व्यवस्था की जाती थी। इस व्यवस्था के अनुसार मालिकों और कामगारों के बीच का संबंध अधिनियमों के तहत संचालित होता था। मॉरीशस में इन कामगारों द्वारा सुस्ती बरते जाने पर उन्हें दंडित किये जाने का प्रावधान किया गया था। इन नियमों के अनुसार मजदूरी जब्त किया जाना, जेल की सजा और काम को अधिक कठिन कर दिए जाने आदि को संविदात्मक स्वरूप प्रदान किया गया था।

औपनिवेशिक मानसिकता वाले गोरे लोगे के सामने निरक्षर भारतीय गिरमिटिया मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। इन कामगारों को अकसर संविदा उल्लंघन के लिए अदालती मुकदमों का सामना करना पड़ता था। गोरे बागान मालिक, गोरे बैरिस्टर और गोरी न्याय व्यवस्था की तिकड़ी भोले-भाले अनपढ़ कामगारों के लिए एक अबूझ पहेली की तरह थी। विदेशी भाषा में चलने वाली अभियोग प्रक्रिया उनके शोषण का आधार बनती थी और अधिकतर उनकी मेहनत की कमाई को लील जाती थी। इस बारे में दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए तोताराम सनाढ्य (1972 ई.) अपनी आत्मकथा 'फिजीद्वीप में मेरे 21 वर्ष' में लिखते हैं कि *"यदि कोई भारतवासी गोरे बैरिस्टरों और वकीलों के पास जाता है, तो वे एक गिन्नी के काम के लिए दस-दस गिन्नी ले लेते हैं। कितने ही बैरिस्टर तो यहाँ तक धूर्तता करते हैं कि पहले मनमाना मेहनताना ले लेते हैं और फिर कोर्ट में जाते भी नहीं! कुछ गोरे बैरिस्टर यह करते हैं कि पहले कुछ पौंड ले लेते हैं और अभियोग की पेशी के एक दिन पहले रात को कहला भेजते हैं कि अगर हमको पाँच गिन्नी और लाओ तो हम तुम्हारी पैरवी करेंगे, अन्यथा नहीं। बेचारे रात को दूसरा बैरिस्टर भी नहीं कर सकते, अतएव लाचार हो कर पाँच गिन्नी देनी पड़ती है। यदि उनसे कहा जाए कि हमारे दाम वापस दे दो तो वे यही कहते हैं, "हम लोग वापस नहीं दे सकते।" भारतवासियों के कितने ही मुकदमे यों ही ख़ारिज हो गए हैं, क्योंकि गोरे बैरिस्टर ठीक समय पर नहीं पहुँचते। यदि कोई झगड़ा किसी भारतवासी और गोरे में वहाँ हो जाए, तो प्राय: गोरे बैरिस्टर यह किया करते हैं कि रुपये तो भारतवासी से पैरवी करने के लिए लेते रहते हैं और फिर अभियोग में गोरे का पक्ष ले कर गोरे को ही जिता देते हैं! हमारे जो भाई दस-दस घंटे काम करके कठिन परिश्रम से थोड़ा-बहुत कमाते हैं, उसे ये गोरे बैरिस्टर छल-कपट से ठग लेते हैं, बेचारे भारतवासी उन पर रुपयों के लिए नालिश भी नहीं कर सकते, क्योंकि गोरे बैरिस्टर अपने श्वेतांग भाई के विरुद्ध अभियोग में काम करना स्वीकार ही नहीं करते"।*

गोरे बैरिस्टरों की धूर्तता का उल्लेख करते हुए वे कहते हैं कि *"फिजी की राजधानी सुवा में बर्कले नाम के एक बैरिस्टर हैं। एक बार 45 पंजाबी सिक्ख उनके निकट गए और प्रार्थना की "हम दक्षिण अमरीका में अर्जेंटाइना प्रजातंत्र राज्य को जाना चाहते हैं। हमने सुना है कि वहाँ पर हमको बहुत मजदूरी मिलेगी। परंतु फिजी से कोई स्टीमर दक्षिण अमरीका को नहीं जाता, क्या करें, कैसे जाएँ? गोरे बैरिस्टर ने मन में सोचा चलो ये लोग अच्छे चंगुल में आ फँसे। फिर उन सिक्खों से बातें बना कर कहा "यदि तुम में से प्रत्येक 4 पौंड जमानत के दे, 5 पौंड मेरे मेहनताने के दे और 16 पौंड किराये के दे तो मैं स्टीमर तैयार कराके तुम को सीधा अर्जेंटाइना भेज सकता हूँ।" सिक्ख लोग बातों में आ गए और बैरिस्टर की आज्ञानुसार पच्चीस-पच्चीस पौंड दे दिए। इनमें केवल 16 पौंड की उसने रसीद दी। इस प्रकार उस बैरिस्टर ने 1925 पौंड इन लोगों के ले लिए और अपनी सब धन संपत्ति अपने पुत्र के नाम कर दी"।*

इंडियन ओपिनियन में फिजी में भारतीयों की दुर्दशा के बारे में छपे लेख को पढ़कर मॉरीशस में रह रहे मणिलाल डॉक्टर महात्मा से मिलने दक्षिण अफ्रीका गए। महात्मा गांधी द्वारा डॉक्टर को मॉरीशस के गिरमिटिया और गैर-गिरमिटिया श्रमिकों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। मणिलाल मगनलाल डॉक्टर, गुजरात के बड़ौदा में 28 जुलाई 1881 ई. को जन्मे, ब्रिटिश भारतीय बैरिस्टर और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने भारतवंशियों को कानूनी सहायता प्रदान करते हुए फीजी, मॉरीशस और अदन सहित ब्रिटिश साम्राज्य के कई देशों की यात्रा की (Ramasarana, 2012)। 1906 ई. में मणिलाल डॉक्टर, एम.के. गांधी से मुलाकात के बाद मॉरीशस में भारतीयों की दुर्दशा से अवगत हुए। गांधी भारतीय मजदूरों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और ब्रिटिश साम्राज्य के नागरिकों के रूप में अपने अधिकारों की मांग के लिए और संगठन की कमी दोनों से परेशान थे। उन्होंने मजदूरों की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को सुधारने में उनकी सहायता करने के लिए मणिलाल डॉक्टर को मॉरीशस भेजा (Tinkar, 1974:306-7)। 11 अक्टूबर 1907 ई. को मणिलाल

मॉरीशस पहुंचे और बैरिस्टर के रूप में काम करना शुरू किया। 11 अक्टूबर का दिन को मॉरीशस में मणिलाल दिवस के रूप में मनाया जाता है (Dhuny, 2016)।

मणिलाल डॉक्टर, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित भारतीय सेवक समाज के एक युवा सदस्य थे। वे अदालतों में गिरमिटिया असहाय मजदूरों की नि:शुल्क पैरवी करते कोठी-मालिकों की शोषण प्रवृत्ति का अपने लेखों द्वारा पर्दाफाश करते, धार्मिक विषयों पर चर्चा कर विभिन्न धर्मावलम्बियों का मतभेद दूर करते। अंग्रेजी, गुजराती और हिंदी में 'हिंदुस्तानी' दैनिक पत्र को निकालकर भारतीय गिरमिटिया मजदूरों से संबंधित समाचारों को सरकार तक पहुंचाते (कार्टर, 2007: 269)। वे अपने लेखों द्वारा भारतीय गिरमिटिया मजदूरों और भारतीय लोगों के आत्मसम्मान को बढ़ाते। भारतीयों में आत्मगौरव बढ़ाने के लिए उन्होंने 'योग मेन्स हिंदू एसोसिएशन' तथा 'आर्य समाज' जैसी संस्थाओं की स्थापना की। उन्होंने 1910 ई. और 1911 ई. के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में मॉरीशस के भारतवंशियों का प्रतिनिधित्व किया। मणिलाल डॉक्टर के मॉरीशस में सत्याग्रह सुधार आंदोलन से प्रभावित होकर दो भारतीयों ने सन् 1911 ई. में चुनाव लड़े। पंडित काशीनाथ और पं. रामावद्य उच्च शिक्षा के लिए भारत गए, जबकि रामखेलावन बुधन बैरिस्टरी शिक्षा के लिए विलायत पहुँचे। इन्हीं से प्रेरित होकर मॉरीशस आर्य पत्रिका और ओरियण्टल गजट का निकलना संभव हो पाया (रामशरण प्रह्लाद, 2004: 108-112)। गांधी के दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के अनुयायियों में से एक मॉरीशस के थाम्बी नायडू थे। उन्हीं के जरिए गांधी को मॉरीशस के बारे में भारतीय की हालात के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी (दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास : पृ 167)। गांधी और मणिलाल डाक्टर जैसे भारतीयों की प्रेरणा के कारण मॉरीशस के राजनीतिक संघर्ष में भारतीय मूल के लोग आगे रहते हुए सत्ता तक पहुँच सके (Prasad, 1992)।

सन् 1879 ई. से लेकर सन् 1916 ई. तक हजारों भारतीय गिरमिट प्रथा के तहत फिजी द्वीप में गए। गिरमिट की अवधि को पूरा कर कितने ही भारतीय स्वदेश लौट आये, मगर इनमें से अधिकांश फिजी में ही रह कर स्वतंत्र रूप से खेती तथा व्यापार करने लगे। इनमें से अधिकांश अशिक्षित थे, फिर भी उन्होंने अपनी लगन और मेहनत से फिजी के सामाजिक तथा आर्थिक विकास में पूरा-पूरा हाथ बँटाया। आर्थिक कठिनाइयों को झेलते हुए तथा भेदभावों का सामना करते हुए भी अपनी संतानों को शिक्षित करने में कोई कोर-कसर नहीं रखी। इन्हीं पूर्वजों की मेहनत और त्याग के फलस्वरूप फिजीद्वीप आज 'प्रशांत महासागर के स्वर्ग' के नाम से प्रसिद्ध है (सनाढ्य तोताराम, फिजीद्वीप में मेरे 21 वर्ष, लाल ब्रिज.वी., 2012)। भारत के फीरोजाबाद के रहने वाले तोताराम सनाढ्य ने फिजी में दयनीय स्थिति में रहने वाले भारतीयों की मदद के लिए एम.के. गांधी को पत्र लिखा। इसी पत्र से प्रेरित होकर गांधी जी ने मणिलाल डाक्टर (1912-20 ई.), सी.एफ.एंड्रूज (1916 ई.) को फिजी में काम रहे भारतीय गिरमिटिया मजदूरों एवं अन्य भारतीयों की मदद के लिए फिजी भेजा। मणिलाल डाक्टर ने फिजी में रहकर भारतीय के विरुद्ध चल रहे अदालती मुकदमें में भारतीयों का पक्ष रखा। फिजी में बसे भारतीय गिरमिटिया मजदूरों और अन्य भारतीयों को संगठित करने के लिए द्विभाषीय अखबार 'इंडियन सेटेलर' निकाला तथा 'इंडियन इंपीरियल एसोसिएशन' नामक संगठन बनाया (लाल ब्रिज.वी., 2012 : 269)। इन्हीं संघर्षों और प्रेरणाओं के फलस्वरूप राजनैतिक जागरूकता बढ़ी और भारतीय मूल के महेंद्र चौधरी को फिजी का प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला।

1911 ई. में फिजी के भारतीयों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजी ने भारतीयों के बीच शिक्षित नेतृत्व की कमी और यूरोपीय वकीलों पर निर्भरता जैसी शिकायतों पर चर्चा की और तोताराम सनाढ्य को गांधी को एक भारतीय बैरिस्टर को फिजी भेजने के लिए एक पत्र लिखने के लिए अधिकृत किया। गांधी इस अपील से प्रभावित हुए और उन्होंने इस अनुरोध को इंडियन ओपिनियन में प्रकाशित किया, जहां से यह बात मॉरीशस में मणिलाल के ध्यान में आयी। मणिलाल ने तोताराम सनाढ्य के साथ पत्रों का आदान-प्रदान किया, जिन्होंने मणिलाल के लिए यात्रा व्यय और कानून की किताबों के लिए धन इकट्ठा करने की व्यवस्था की और उनके फिजी में रहने की व्यवस्था की (लाल ब्रिज.वी., 2007 : 374)।

मणिलाल डॉक्टर के फिजी पहुंचने और उनके स्वागत के बारे में तोताराम सनाढ्य (1972) ने फिजीद्वीप में मेरे 21 वर्ष में लिखा कि *"27 अगस्त, 1912 को मणिलालजी फिजी की राजधानी सुवा पहुँचे। हम लोगों ने उनके स्वागत का यथाशक्ति प्रबंध किया था। जिस दिन उनका स्वागत किया गया था, उस दिन हम फिजी प्रवासी भारतवासियों को जो प्रसन्नता हुई थी, वह अकथनीय है। सैकड़ों भारतवासी वहाँ एकत्रित हुए थे ..."*।

मणिलाल ने भारतीयों की वकालत की, कम फीस के लिए भारतीयों का पक्ष लिया और उनके लिए पत्र और याचिकाएं लिखीं। सरकार को उन पर फिजी में गांधी के एजेंट होने का संदेह था, फिर भी सरकार ने भारतीय मामलों पर उनसे सलाह ली। प्रारंभ में, मणिलाल ने भारतीयों की मदद के लिए चुपचाप काम किया और वीरस्वामी का मामला फिजी में उनकी सफलता का एक उदाहरण है। वीरस्वामी एक पढ़े-लिखे युवक थे, जिन्हें यह समझा कर मद्रास में भर्ती किया गया था कि वे सरकारी कार्यालय में एक पोस्ट ऑफिसर के पद पर कार्यरत होंगे। अक्टूबर 1911 में जब वे फिजी पहुंचे, तो उन्हें सी. एस. आर. के साथ काम करने के लिए भेजा गया। वह शुरू में एक टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में कार्यरत थे, लेकिन जब उसने शिकायत की कि उसे वादा के अनुसार नौकरी नहीं दी गई, तब उसे बेंत के खेत में काम करने के लिए भेज दिया गया। उन्होंने IIA को लिखा और मणिलाल ने इस मामले को लंदन की एंटी-स्लेवरी सोसाइटी को भेज दिया। सोसाइटी ने औपनिवेशिक कार्यालय से संपर्क किया और वीरास्वामी स्वतंत्र होकर अनुबंध प्रणाली से बाहर रोजगार पाने में सक्षम हुए।

मणिलाल जी की राजनीतिक गतिविधियां:

1915 ई. में कई भारतीयों ने राज्यपाल से मणिलाल को विधान परिषद में अपने प्रतिनिधि के रूप में नामित करने के लिए याचिका दायर की। राज्यपाल ने उत्तर दिया कि भारतीय हितों को पर्याप्त रूप से पूरा किया गया है, लेकिन यदि आवश्यक योग्यता वाला भारतीय होता है और भारत सरकार ने भी मांग का समर्थन किया, तो इस अनुरोध को स्वीकार किया जाएगा। भारत की सिफारिश के आधार पर राज्यपाल ने वर्ष 1916 ई. में बद्री महाराज को विधान परिषद में भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया। इस नामांकन के विरोध में फिजी भारतीयों द्वारा पूरी कॉलोनी से याचिकाएं भेजी गईं, जिसमें सरकार से अपनी पसंद पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया। यहां तक कि फिजी टाइम्स ने भी मणिलाल को बद्री महाराज की तुलना में परिषद के लिए एक बेहतर व्यक्ति माना। सरकार ने इन विरोधों की अनदेखी करते हुए दावा किया कि मणिलाल नामांकन के योग्य नहीं थे, क्योंकि उनका जन्म एक गैर ब्रिटिश क्षेत्र बड़ौदा में हुआ था (Gillion, 1977)।

मणिलाल फिजी से संबंधित मामलों पर भारत में प्रेस के लिए एक नियमित योगदान देते थे। 1917 ई. में भारतीयों द्वारा फिजी में प्रकाशित पहले अखबार 'इंडियन सेटलर' के अंग्रेजी खंड के संपादक थे, । 2 जून 1918 ई. को उन्होंने सुवा में फिजी के इंडियन इंपीरियल एसोसिएशन (IIA) के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एसोसिएशन का उद्देश्य 'फिजी में भारतीय समुदाय के सामान्य सुधार के हितों की निगरानी करना और सहायता करना' था। आई. आई. ए. के अध्यक्ष के रूप में मणिलाल ने गांधी और अन्य भारतीय नेताओं को फिजी में भारतीय गिरमिटिया मजदूरों की दुःख और दुर्दशा के बारे में लिखा। सी.एफ. एंड्रयूज और डब्ल्यू. डब्ल्यू. पियर्सन को शिकायतों की जांच के लिए फिजी भेजा गया। मणिलाल ने 29 फरवरी 1916 ई. को प्रकाशित अपनी रिपोर्ट के आधार पर गिरमिटिया मजदूरों की दयनीय जीवन स्थितियों, शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं तक उनकी पहुंच की कमी के बारे में जाँच दल के समक्ष प्रस्तुतियां दीं।

यद्यपि मणिलाल आमतौर पर स्वतंत्र समाजवादी विचारक थे। वह धार्मिक नहीं थे, लेकिन उनका मानना था कि फिजी में विकसित हो रहा आर्य समाज जातिविहीन भारतवंशियों के लिए सबसे अच्छा संप्रदाय था। वह अपने समुदाय की उन्नति में विश्वास करते थे और जब कुछ यूरोपीय लोगों ने फिजी और न्यूजीलैंड के एक संघ का सुझाव दिया, तो मणिलाल ने इंडियन इंपीरियल एसोसिएशन के माध्यम से फिजी को भारत का हिस्सा बनने के लिए एक याचिका भेजी।

मणिलाल और सरकार के बीच संबंध तब और खराब हो गए, जब उन्होंने नौसोरी में कार्यालय बनाने के लिए फिजी की जमीन के लिए आवेदन करने की कोशिश की। उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने फिजी के भू-मालिकों के साथ एक समझौता किया और निर्माण करना

शुरू कर दिया। उन्हें देश छोड़ने का आदेश दिया गया। आदेश का उल्लंघन करने पर 10 पाउंड का जुर्माना लगाया गया। मणिलाल ने 24 सितंबर 1919 ई. में 'इंडियन इंपीरियल एसोसिएशन' ने एक प्रस्ताव पारित कर सरकार की निंदा करते हुए कहा कि यूरोपीय लोगों ने खुद भी अवैध तरीके से जमीन हासिल की थी, लेकिन उन्हें निर्माण की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने इस घटना के संबंध में एंड्रयूज को एक तार भी भेजा, जिन्होंने इसे भारतीय प्रेस में प्रकाशित किया था। 26 दिसंबर 1919 ई. को एसोसिएशन ने सुवा टाउन हॉल में एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता मणिलाल ने की। इस सम्मलेन में भारत के लिए स्वतंत्रता, पंजाब नरसंहार के पीड़ितों के लिए सहानुभूति और फिजी भारतीयों से संबंधित अन्य प्रस्तावों सहित कई प्रस्ताव पारित किए गए।

काम के घंटे प्रति सप्ताह 45 से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिये जाने के कारण 15 जनवरी 1920 ई. को सुवा में लोक निर्माण विभाग द्वारा नियोजित भारतीय मजदूर हड़ताल पर चले गए। मणिलाल ने उन श्रमिकों को आश्वस्त किया, जिन्हें उनके नियोक्ताओं ने धमकी दी थी और अन्य लोगों को शांत किया, जो तोड़फोड़ करने वालों को सबक सिखाना चाहते थे। उन्होंने सुवा और नौसोरी में बैठकें कीं, जिसमें हड़ताल करने वालों ने वेतन में 5 शिलिंग बढ़ाने की अपनी मांग दोहराई। बैठकें इतनी शांतिपूर्ण थी कि कांस्टेबुलरी के महानिरीक्षक ने मणिलाल को एक संदेश भेजा, उन्हें धन्यवाद दिया कि बहुत शांत और व्यवस्थित तरीके से स्ट्राइकरों की बैठक आयोजित की गई।

मणिलाल की पत्नी जयुंकवर भी हड़ताल में सक्रिय थीं, उन्होंने भारतीयों को काम पर नहीं लौटने और भारतीय महिलाओं को संगठित करने का आह्वान किया। सुवा में जयकुंवर द्वारा आयोजित एक बैठक को पुलिस द्वारा हिंसक रूप से विफल कर दिये जाने से स्थिति और अधिक खराब हो गई। सुवा और नौसोरी के बीच टेलीफोन के तार काट दिए गए और रीवा ब्रिज पर भारतीयों और यूरोपीय विशेष कांस्टेबलों के बीच हिंसक टकराव हुआ। 12 फरवरी को मशीनगनों के साथ 60 सैनिकों की एक सेना न्यूजीलैंड पहुंची।13 फरवरी को पुलिस और सेना ने समबुला ब्रिज पर भारतीयों के एक समूह को पकड़ लिया। भारतीय आवश्यक सामान और राशन खरीदने तथा हिरासत में लिए गए लोगों से मिलने सुवा जाना चाहते थे। जब भारतीयों ने तितर-बितर हो जाने के आदेश का पालन नहीं किया, तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। भारतीयों की ओर से भी लाठी और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया और पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चला दी। दोनों पक्षों में कई लोग घायल हो गए और एक की मौत हो गई।

फिजी से निर्वासन:

हालांकि जब हड़ताल शुरू हुई, तब मणिलाल सुवा में नहीं थे और सरकार के पास उन पर राजद्रोह का आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। लेकिन वर्ष 1875 ई. के अध्यादेश का इस्तेमाल कर उन्हें, उनकी पत्नी और विटी लेवु, ओवलाऊ तथा मकुआता प्रांत के दो अन्य हड़ताली नेताओं हरपाल महाराज और फाजिल खान को निर्वासित कर दिया गया। मणिलाल को न्यूजीलैंड के लिए एक जहाज का इंतजार करने के लिए नुकुलाऊ द्वीप भेजा गया था। नुकुलाऊ से, मणिलाल ने कॉलोनियों के लिए राज्य सचिव को कई शिकायत पत्र भेजे और उन्होंने 'इंपीरियल यूनिवर्सिटी, कुली एग्जामिनेशन हॉल, नुकुलाऊ' से याचिका भेजी। इन याचिकाओं पर हजारों भारतीयों द्वारा हस्ताक्षर किए गए और यह माँग की गई कि मणिलाल को निष्कासित नहीं किया जाना चाहिए।

मणिलाल ने 15 अप्रैल 1920 ई. को फिजी छोड़ दिया। औपनिवेशिक सरकार ने मणिलाल को फिजी से जाने के बाद भी परेशान करना जारी रखा। उन्हें न्यूजीलैंड में वकालत करने की अनुमति नहीं दी गई। न्यूजीलैंड में बैरिस्टर और सॉलिसिटर के रूप में प्रवेश के लिए मणिलाल के आवेदन को 1921 ई. में सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्ण न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया था। ऑकलैंड डिस्ट्रिक्ट लॉ सोसाइटी ने इस आधार पर उनके आवेदन का विरोध किया कि वह फिट चरित्र के नहीं थे। वर्ष 1920 ई. की हड़ताल में उनकी भूमिका एक 'प्राइम मूवर' की थी। अदालत ने मणिलाल के स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया और इसके बजाय औपनिवेशिक अधिकारियों (श्री स्कॉट के विधान परिषद के सदस्य और 200 हड़ताली श्रमिकों के अभियोजन में क्राउन के वकील सहित) के साक्ष्य का समर्थन किया कि मणिलाल भारतीय अशांति के जनक थे। उनके पत्र व्यवहार पर भी नजर रखी जा रही थी (इंडियन ओपिनियन, 11 जून 1920 ई., संख्या-24, वॉल्यूम -XVIII)। सी. एफ. एंड्रयूज ने गांधी को सूचित किया कि मणिलाल ने उन्हें न्यूजीलैंड से एक पेपर भेजा था, उसमें 4 या 5 खंड कटे हुए थे (संभवतः फिजी के बारे में जानकारी वाली)। उन्हें पहले ही ऑस्ट्रेलिया में वकालत करने की अनुमति देने से मना कर दिया गया और सीलोन (श्रीलंका) में वकालत करने

की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था और यहां तक कि भारत में भी उन्हें बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालयों में वकालत करने की अनुमति नहीं थी। ब्रिटिश सरकार ने उनका नाम बैरिस्टरों की सूची से भी काट दिया था। गांधी ने उल्लेख किया कि "एक साम्राज्य जिसके लिए किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ भी साबित करने की कोशिश किए बिना इस तरह के उत्पीड़न की आवश्यकता होती है, वह केवल भंग होने का हकदार है।" अंततः उन्हें भारतीय विश्वविद्यालय से एल. एल. बी. की डिग्री होने के आधार पर पटना उच्च न्यायालय द्वारा बिहार और उड़ीसा के निचले न्यायालयों में वकालत करने की अनुमति दी गई।

मणिलाल जल्द ही बॉम्बे से प्रकाशित एक अंग्रेजी पत्रिका सोशलिस्ट के नियमित योगदानकर्ता बन गए। वह जल्द ही समाजवादी गतिविधियों में शामिल हो गए और उन कम्युनिस्टों के संपर्क में आ गए, जो भारत में संगठित होने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने 1923 ई. में गया कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया और इसके तुरंत बाद उन्होंने लेबर एंड किसान पार्टी ऑफ इंडिया का घोषणापत्र जारी किया। वे भारतीय नेताओं के बीच प्रतिद्वंद्विता से खुश नहीं थे और बाहरी अवसरों की तलाश में रहते थे। उन्होंने पिनांग (मलेशिया) में बसने की कोशिश की, लेकिन सिंगापुर के औपनिवेशिक सचिव ने उन्हें चेतावनी दी कि उन्हें वहां उतरने से रोका जाएगा। पेशेवर बैरिस्टर का जीवन जीने का उनका सपना तब साकार हुआ, जब अदन के मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें औपनिवेशिक अधिकारियों को आश्वासन देते हुए वहां आकर वकालत करने के लिए कहा। उन्होंने 1935-1940 ई. के मध्य अदन और सोमालीलैंड के लोगों को सेवा प्रदान करना जारी रखा। उन्होंने 1950 ई. में मॉरीशस का दौरा किया, जहां उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। 1953 ई. में अदन से वे भारत लौट आए और 8 जनवरी 1956 ई. को अपनी मृत्यु पर्यन्त मुंबई में रहे।

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि औपनिवेशिक श्वेत मानसिकता की शोषणकारी प्रवृत्तियों से संघर्ष करने और अपने कानूनी अधिकारों को प्राप्त करने के लिए मणिलाल भारतवंशियों के प्रेरक बने। फिजी के भारतीय समुदाय जिसके अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, आज भी लगातार फल-फूल रहा है। नृजातीय फिजीवासियों के साथ राजनीतिक संघर्ष की स्थिति में भी फिजी भारतवंशियों ने मणिलाल द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए पर्याप्त राजनैतिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार अर्जित किए हैं। मणिलाल डॉक्टर की विरासत को दक्षिण प्रशांत द्वीपसमूह की तुलना में मॉरीशस में अधिक उत्साह के साथ मनाया जाता है, जहां उन्होंने भारतीय गिरमिटिया मजदूरों के जीवन को अधिक गहराई से प्रभावित किया था। यद्यपि वे केवल चार साल मॉरीशस में रहे, लेकिन उन्हें वहां एक राष्ट्रीय नायक के रूप में देखा जाता है। मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने 2017 ई. में कहा, "अक्टूबर 1907 ई. से सितंबर 1911 ई. तक मॉरीशस में अपने छोटे प्रवास के दौरान, मणिलाल डॉक्टर ने गिरमिटिया और गैर-गिरमिटिया मजदूरों और इंडो-मॉरीशसी बागान मालिकों के बीच सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के लिए संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई"।

संदर्भ ग्रंथ:

1. बिलिमोरिया, पुरुषोत्तम .(1985) . आर्य समाज इन फिजी: ए मोमेंट इन हिन्दू डायस्पोरा. रिसर्च गेट. पृष्ठ. 01-28.
2. https://www.researchgate.net/publication/256921339_The_Arya_SamAj_in_Fiji_A_moment_in_Hindu_Diaspora
3. इंडियन ओपिनियन, 11 जून, 1920, संख्या-24, वॉल्यूम –XVIII
4. Prasad, Dharmendra. (1992). The Public Life of Manilal Doctor. Rite-Print-Pak. The University of Michigan.
5. Dhuny, Yash Dev. (2016). A Man Of the People in A News Letter of Apravasi Ghat
6. Trust Fund. Mauritius. Page. 40-43. No-13.
7. सनाढ्य, तोताराम (1972), फिजीद्वीप में मेरे 21 वर्ष , पं. बनारसीदास चतुर्वेदी, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कंपनी, आगरा , हिंदी समय, वर्धा, पृ.21.
8. गांधी, एम.के. (1957). सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा , नवजीवन प्रकाशन मंदिर , अहमदाबाद।
9. गांधी, एम.के.(1968). दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, नवजीवन प्रकाशन मंदिर , अहमदाबाद।
10. चन्द्र, बिपिन (1990), भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, नई दिल्ली।
11. रामशरण, प्रह्लाद.(1995).महात्मा गांधी एंड हिज इम्पैक्ट ऑन मॉरीशस , स्टर्लिंग पब्लिशर्स लिमिटेड , नई दिल्ली।
12. रामशरण, प्रह्लाद. (2004).मॉरीशस का इतिहास. वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली ।
13. Ramasarana, Prahalad. (2012). Manilal Docter: Historic Court Cases in Mauritius, New Delhi. Sterling Publishers.
14. कार्टर, मरीना. (2007). मॉरीशस. लाल बी.वी., रीव्स पी., और राय आर. (संपा.) द एनसॉइक्लोपीडिया ऑफ द इंडियन डायस्पोरा, नई दिल्ली.ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
15. लाल, ब्रिज.वी. (2007). फीजी. लाल बी.वी., रीव्स पी., और राय आर. (संपा.) द एनसॉइक्लोपीडिया, ऑफ द इंडियन डायस्पोरा, नई दिल्ली.ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
16. लाल, ब्रिज.वी. (2012). चलो जहाजी : ऑन अ जर्नी थ्रू इन्देंचर इन फिजी, एएनयू प्रेस, आस्ट्रेलिया।
17. Tinker, Hugh.(1974). A New System of Slavery. The Export of Indian Labour , Overseas 1830-1920. London: Oxford University Press.
18. Gillion, K. L.(1977). The Fiji Indians: Challenge to European Dominance 1920- 1946. Australian National University Press.
19. Claveyrolas, Mathieu. (2019). From the Indian Ganges to a Mauritian lake: Hindu, pilgrimage in a diasporic context. 10.2307/j.ctvw04k6c.5.